



2026:AHC:126500

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 807 सन् 2026

श्रीमती बबिता यादव (बंदी) तथा एक अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार तिवारी, रमा शंकर मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री रमा शंकर मिश्रा तथा प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से आज न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

3. यह याचिका निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गई है:-

"(i) प्रत्यर्थीगण को बंदी/अर्थात् श्रीमती बबिता यादव को बिना किसी और विलंब के तत्काल मुक्त करने हेतु निर्देशित करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) ऐसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित एवं समीचीन समझे।"

4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता सं.

1 (बंदी) याचिकाकर्ता सं. 2 की विधिपूर्वक विवाहित पत्नी है तथा दोनों ने दिनांक 04.12.2025

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न किया है। यह भी निवेदन किया गया है कि दोनों वयस्क हैं तथा उनका विवाह दिनांक 06.12.2025 को रजिस्ट्रार (विवाह), मुरादाबाद के समक्ष दर्ज कराया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता सं. 1 एक वयस्क महिला है तथा प्रत्यर्थी सं. 4 के बुलाने पर बंदी दिनांक 18.05.2026 को अपने मायके गई थी और तभी से उसे वहाँ अवैध रूप से निरुद्ध रखा गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता सं. 1 के पिता, प्रत्यर्थी सं. 4, याचिकाकर्ता सं. 2 को अपनी पत्नी अर्थात् याचिकाकर्ता सं. 1 से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

5. आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि याचिकाकर्ता सं. 1 वयस्क है तथा याचिकाकर्ता सं. 2 की विधिपूर्वक विवाहित पत्नी है, अतः प्रत्यर्थी सं. 4 को उसे निरुद्ध रखने का कोई अधिकार एवं प्राधिकार नहीं है और इस प्रकार, कैद अवैध है। याचिका के समर्थन में रजिस्ट्रार (विवाह) मुरादाबाद द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ्स तथा याचिकाकर्ता सं. 2 द्वारा एस.एस.पी. मुरादाबाद को दिनांक 27.05.2026 को भेजा गया प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा आयु के प्रमाण के संबंध में समिति ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, उ.प्र. की वर्ष 2016 की हाईस्कूल परीक्षा की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता सं. 1- कुमारी बबिता यादव की जन्मतिथि 14.08.2000 है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता सं. 1 वयस्क है।

6. मैं इस संबंध में प्रथम याचिकाकर्ता का पक्ष व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूँगा। प्रथम याचिकाकर्ता को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका कथन अभिलिखित करने हेतु आगे बढ़ता हूँ:-

प्रश्न- आपका नाम ?

उत्तर- बबिता यादव।

प्रश्न- आपके पिताजी का नाम?

उत्तर- नरेश यादव।

प्रश्न- आपकी उम्र क्या है ?

उत्तर- 25 वर्ष ।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रश्न- आपकी जन्मतिथि क्या है ?

उत्तर- 14.08.2000 ।

प्रश्न- आप कहाँ से आई है ?

उत्तर- जिला मुरादाबाद से ।

प्रश्न- आप शिवेंद्र यादव को जानती है ?

उत्तर- जी हाँ ।

प्रश्न- क्या आपने शिवेंद्र यादव से शादी की है ?

उत्तर- हाँ ।

प्रश्न- शादी कब हुई ?

उत्तर- 05.12.2025 ।

प्रश्न- अपनी इच्छा से शादी की है ?

उत्तर- हाँ ।

प्रश्न- शादी कहाँ की है ?

उत्तर- मुरादाबाद में ।

प्रश्न- शादी रजिस्टर कराई है ?

उत्तर- जी हाँ ।

प्रश्न- शादी कब रजिस्टर करायी ?

उत्तर- 06.12.2025 ।

प्रश्न- किसके साथ जाना चाहती है ?

उत्तर- पापा के साथ ।

7. प्रत्यर्थी सं. 4 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं तथा उन्होंने इस याचिका का विरोध किया है।

8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, यह स्थापित है कि याचिकाकर्ता सं. 1 ने याचिकाकर्ता सं. 2 के साथ विवाह संपन्न किया है तथा दोनों वयस्क हैं और यह भी स्थापित है कि वर्तमान में याचिकाकर्ता सं. 1 अपने माता-पिता के साथ रह रही है तथा उसने कथन किया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि उसने याचिकाकर्ता सं. 2 के साथ विवाह संपन्न किया है, किन्तु वह अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती है। चूँकि याचिकाकर्ता सं. 1 वयस्क है, अतः उसे यह चयन करने का अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है तथा किस स्थान पर निवास करना चाहती है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि याचिकाकर्ता सं. 1 प्रत्यर्थी सं. 4 के अवैध निरुद्धि में है, क्योंकि वह अपनी स्वेच्छा से उसके साथ रह रही है।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्तमान में याचिकाकर्ता सं. 1 प्रत्यर्थी सं. 4 के अवैध कैद में नहीं है, यद्यपि वह याचिकाकर्ता सं. 2 की विधिपूर्वक विवाहित पत्नी है तथा अपनी इच्छा से अपने माता-पिता के साथ रह रही है। अतः मैं कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं समझता, अतएव, यह याचिका असफल होती है और तदनुसार, **खारिज** की जाती है।

10 जून 2026

आदित्यजी

(माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।